



# भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित

HDFC ERGO



## प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)

मौसम - खरीफ 2024

फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ!

### किसान भाई-बहनों के लिए आवश्यक सूचना

भारत सरकार की इस योजना को छत्तीसगढ़ सरकार के सहयोग से "एचडीएफसी अगो जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड" द्वारा खरीफ 2024 में छत्तीसगढ़ के 12 जिलों (बिलासपुर, दुर्ग, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, मुंगेली, सुकमा, सरगुजा, बालोद, बलौदा बाजार, बलरामपुर, दंतेवाडा, गौरैला पेंड्रा मरवाही, रायपुर) में संचालित की जा रही है।

**अधिसूचित फसलें:** खरीफ: उड़द, मूंग, मूंगफली, कोदो, कुटुकी, मक्का, धान अंसिंचित, धान सिंचित, अरहर/तुअर, रागी, सोयाबीन

### योजना की विशेषताएँ

- आवरण किये जाने वाले किसान:** अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी किसान।
- ऋणी किसान :** ऋणी कृषक जो योजना में शामिल नहीं होना चाहते, उन्हें भारत सरकार द्वारा जारी चयन प्रपत्रानुसार हस्ताक्षरित घोषणा पत्र खरीफ के लिये दिनांक 31 जुलाई 2024 तक संबंधित वित्तीय संस्थान में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा, अन्यथा संबंधित बैंक द्वारा संबंधित मौसम के लिए स्वीकृत/नवीनीकृत की गई अल्पकालीन कृषि ऋण को अनिवार्य रूप से बीमाकृत किया जायेगा। ऋणी कृषक बीमित फसल में परिवर्तन करा सकते हैं इसके लिये खरीफ मौसम में नामांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई से 7 दिवस पूर्व इस बात की सूचना संबंधित बैंक शाखा में दे सकते हैं।
- अऋणी किसान:** अधिसूचित फसल लगाने वाले सभी अऋणी किसान को प्रस्ताव पत्र के साथ निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
- जरूरी दस्तावेज:** 1) नवीनतम आधार कार्ड कॉपी, 2) नवीनतम भूमि प्रमाण पत्र (बी-1, पी-2) की कॉपी, 3) बैंक पासबुक के पहले पन्ने की कॉपी जिस पर एकाउंट नंबर/आईएफएससी कोड/बैंक का पता साफ दिख रहा हो, 4) फसल बुवाई प्रमाण-पत्र अथवा प्रस्तावित फसल बोने के आशय का स्वघोषणा पत्र, 5) किसान का वैध मोबाईल नंबर, 6) बटाईदार/कास्तकार/साझेदार किसानों के लिए फसल साझा/कास्तकार का घोषणा पत्र।

**आधार अनिवार्य:** किसान भाईयों से अनुरोध है कि वो अपना आधार कार्ड खरीफ वर्ष के लिए दिनांक 31 जुलाई 2024 से पूर्व, बैंक में अपडेट करा लें। फसल बीमा पोर्टल पर बिना आधार प्रमाणीकरण के बीमा मान्य नहीं होगा।

### आवरित जोखिम

अधिसूचित क्षेत्र आधार पर	व्यक्तिगत खेत आधार पर
<ul style="list-style-type: none"><li><b>बुवाई/रोपाई नहीं होने पर:</b> प्रतिकूल मौसम अवस्थाओं के कारण अधिसूचित क्षेत्र के 75% क्षेत्र में बुवाई न होने पर बीमित राशि का अधिकतम 25% तक क्षतिपूर्ति। केवल धान (सिंचित, अंसिंचित) फसल के लिए लागू है।</li><li><b>फसल कटाई प्रयोग आधार पर:</b> प्रत्येक अधिसूचित ग्राम में 04 फसल कटाई द्वारा व्यापक आधार पर आयी प्राकृतिक आपदाओं के कारण उपज में होने वाले नुकसान का आंकलन।</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li><b>स्थानीय आपदाएं:</b> ओलावृष्टि, जलप्लावन (धान सिंचित एवं अंसिंचित फसलों में जलप्लावन से होने वाली क्षति इस घटक में शामिल नहीं है), बादल फटना और प्राकृतिक आकाशीय बिजली के कारण खड़ी फसल का नुकसान होना।</li><li><b>फसल कटाई के उपरान्त नुकसान:</b> खेत में काटकर व फैलाकर/छोटे गठरों में बांधकर सुखाने हेतु रखी गयी फसलों को फसल कटाई के पश्चात केवल 14 दिनों के अधिकतम अवधि में ओलावृष्टि, चक्रवात, चक्रवाती बारिश और बेमौसमी बारिश होने से हानि होने की स्थिति में।</li></ul>



अधिसूचित क्षेत्र आधार पर फसल कटाई प्रयोग से क्षति निर्धारण कृषक के द्वारा प्रीमियम राशि देय मात्र से दावा राशि की पात्रता नहीं बनती है और न ही अकाल, सुखा अनावारी रिपोर्ट के आधार पर निर्धारण किया जाता है। जबकि योजनांतर्गत बीमा दावा का निर्धारण बीमित ग्राम एवं फसल में पटवारी तथा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के द्वारा आयोजित 2-2 (कुल 4 प्रति फसल) फसल कटाई प्रयोग से प्राप्त वास्तविक उपज का निर्धारित थ्रेशहोल्ड उपज से तुलना उपरांत बीमा कंपनी द्वारा देय होता है। जितना प्रतिशत उपज में कमी आती है, उनके मान से दावा राशि प्रदान किया जाता है।

स्थानीय आपदाएँ एवं फसल कटाई उपरान्त नुकसान होने पर 72 घंटों के भीतर अपनी फसल के नुकसान की सूचना यहाँ दें:

- ☞ राष्ट्रीयकृत बैंक शाखा/ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/ जिला सहकारी बैंक/ प्राथमिक सहकारी समितियाँ
- ☞ लोक सेवा केन्द्र (CSC)
- ☞ भारत सरकार की क्रॉप इंश्योरेंस ऐप।
- ☞ जिला/विकासखण्ड/तहसील स्तर के कृषि/राजस्व कार्यालय
- ☞ शिकायत निवारण पोर्टल टोल फ्री नं.14447

	खरीफ
1. किसान द्वारा देय प्रीमियम दर (बीमित राशि का)	2%
2. बैंक/प्राथमिक कृषि सेवा सहकारी समिति/लोक सेवा केन्द्र/ऑनलाईन पंजीकरण/बीमा अभिकर्ता इत्यादि द्वारा सभी ऋणी कृषकों तथा अऋणी कृषकों (प्रस्ताव पत्र के साथ) बीमा कराने/प्रीमियम जमा/खाते से प्रीमियम कटौती करने की अंतिम तिथि	31 जुलाई 2024
3. बैंक/वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रत्येक बीमित कृषकों की विवरण को पोर्टल (www.pmfby.gov.in) में अपलोड करने की अंतिम तिथि तथा पोर्टल द्वारा ही चालान उत्पन्न (Generate) कर PAY-GOV के माध्यम से प्रीमियम प्रेषित करने की अंतिम तिथि	31 जुलाई 2024

- किसान भाईयों से आग्रह है कि फसल बीमा की खरीफ मौसम के लिए अंतिम तिथि **31 जुलाई 2024** से पूर्व निकटतम राष्ट्रीयकृत बैंक शाखा/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/जिला सहकारी बैंक/प्राथमिक सहकारी समितियाँ/लोक सेवा केन्द्र (CSC)/भारत सरकार की बीमा पोर्टल के माध्यम से फसल का बीमा करा सकते हैं
- योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए कृषि अधिकारी/राजस्व अधिकारी/बैंक/CSC एवं एचडीएफसी क्षेत्रीय/जिला/तहसील कार्यालय से संपर्क करें।

**प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मौसम खरीफ वर्ष 2024 के अन्तर्गत  
जिलावार/फसलवार बीमित राशि एवं कृषक द्वारा देय प्रीमियम राशि (रु./हे.)  
(खरीफ 2024 मौसम के अन्तर्गत एचडीएफसी अर्गो को अधिकृत जिलों के  
अधिसूचित फसलों में बीमा के लिए देय प्रीमियम दर बीमित राशि का 2%)**

मौसम	जिला	फसल	बीमित राशि/हे.	कृषक प्रीमियम राशि/हे.	किसान खाते से प्रीमियम डेबिट की अंतिम तिथि
खरीफ 2024	गौरेला पेंड्रा मरवाही	उड़द	22000	440	31 जुलाई 2024
		मूंग	22000	440	31 जुलाई 2024
		मूंगफली	42000	840	31 जुलाई 2024
		कोदो	16000	320	31 जुलाई 2024
		कुटुकी	17000	340	31 जुलाई 2024
		मक्का	36000	720	31 जुलाई 2024
		धान सिंचित	60000	1200	31 जुलाई 2024
		धान असिंचित	43000	860	31 जुलाई 2024
		अरहर/तुअर	35000	700	31 जुलाई 2024
		रागी	15000	300	31 जुलाई 2024
सोयाबीन	41000	820	31 जुलाई 2024		

ई-मेल: [pmfbychhattisgarh@hdfcergo.com](mailto:pmfbychhattisgarh@hdfcergo.com)

वेबसाइट: <https://pmfby.gov.in/farmer>

